बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3024 / अकादमी / संबद्धता / विधि / 2023 भोपाल, दिनांक 01.12.23

अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालयों सचिव बार कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली (बी.सी.आई.) जारी निर्देशों एवं आयुक्त म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग अनुमति एवं विश्वविद्यालय संशोधित परिनियम 27 एवं 28 के निर्धारित मापदण्डों के नियमानुसार प्राचार्य एवं अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि विधि पाठ्यक्रमों एल.एल.बी.**I,II,III**, बी.ए.एल.एल बी (ऑनर्स) भाग **I,II,III,IV,V**.एल.एल.एम.**I,II** सत्र 2024-25 के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों ऑनलाइन आवेदन अनुमति शुल्क,नवीन महाविद्यालय अस्थाई संबद्धता शुल्क ,निरीक्षण शुल्क , पूर्व से संचालित विधि महाविद्यालयो की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि एवं अन्तिम तिथियाँ निमनानुसार है।

1	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18 प्रतिशत जी.एस.टी के साथ आवेदन तिथि	10.12.2023 तक
-	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता आवेदन तिथि (मूल शुल्क का **50%** बिलम्ब शुल्क के साथ) 18 प्रतिशत जी.एस.टी के साथ	दिनांक-11-12-2023 से 15.12.2023 तक
2	पूर्व संचालित शासकीय/अशासकी विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों अस्थाई संबद्धता की निरंतरता /अस्थाई संबद्धता हेतु शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ आवेदन तिथि	10.12.2023 तक
-	पूर्व संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों अस्थाई संबद्धता की निरंतरता /अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन तिथि (मूल शुल्क का **50%** बिलम्ब शुल्क के साथ) 18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ	दिनांक-11.12.2023 से 15.12.2023 तक

नोटः-

(1) उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के उपरान्त एवं 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क प्लस (+) 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा करना अनिवार्य होगा

(2) 07 दिवस के अन्दर ऑनलाईन किये गये मय शुल्क आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों सहित संबद्धता शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके उपरान्त ही संबद्धता संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) संबद्धता प्रदान करने के उपरांत आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल एवं बी.सी.आई. नई दिल्ली की सत्र 2024-25 की मान्यता विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) अशासकीय विधि महाविद्यालयों मे संचालित विधि पाठ्यक्रमों मे कालेज कोड-28 के तहत नियुक्त प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति वि.वि.द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सत्यापित सूची प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त न होने पर तथा परिनियम 27 एवं 28 के उपबन्धो की पूर्ती न होने पर विद्यार्थियों को महाविद्यालय मे प्रवेश न दिया जाय। यदि प्रवेश दिए जाते है तो अमान्य होंगे तथा समस्त दायित्व संबंधित महाविद्यालयों का होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्र.3025/अकादमी / संबद्धता / 2023 भोपाल, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि :

1- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य की ओर पालनार्थ।
2- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4- सचिव, बार कॉउशिल ऑफ इण्डिया 21 रोज इवेन्यू इन्टीट्यूशनल ऐरिया नई दिल्ली-110002
5- कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
6- उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
7- वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8- संबंधित नस्ती।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

Law Fees Notification Session 2024-25